प्रेस विज्ञप्ति

09.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने नीरज थाटई उर्फ नीरज अरोड़ा को उनकी कंपनी मेसर्स नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत छह दिन की हिरासत में लिया है। ईडी ने इस संबंध में ईडी द्वारा दायर याचिका पर माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में 08.10.2024 को आरोपी को हिरासत में लिया है।

ईडी ने नीरज थाटई उर्फ नीरज अरोड़ा और उनकी कंपनी मेसर्स नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उन्होंने संपत्तियों के आवंटन के बहाने बड़ी संख्या में निर्दोष निवेशकों से उनकी मेहनत की कमाई ठगी और इस तरह धन शोधन का अपराध किया।

ईडी की जांच में पता चला है कि नीरज थाटई उर्फ नीरज अरोड़ा द्वारा खरीदी गई संपत्तियां निवेशकों को जमीन या रिफंड/पैसे वापस दिए बिना उनसे एकत्र किए गए धन के माध्यम से पंजीकृत/खरीदी गई थीं। नीरज थाटई उर्फ नीरज अरोड़ा, मेसर्स नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और समूह की कंपनियों के कई बैंक खातों में निवेशकों की गाढ़ी कमाई जमा की गई थी।

इससे पहले, जांच के दौरान, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर स्थित बैंक बैलेंस और कृषि/व्यावसायिक भूमि सहित 46.02 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति की अनंतिम कुर्की की गई थी, जिसकी पुष्टि माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (पीएमएलए) द्वारा की गई है। इस मामले में 29.10.2020 को अभियोजन शिकायत भी दर्ज की गई है।

आगे की जांच जारी है।